



2026:AHC:16034

न्यायालय संख्या - 66

अपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 2356 वर्ष 2026

आवेदक :-सुनील कुमार

विपक्षी :-उत्तर प्रदेश राज्य

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : संजीव कुमार सिंह

विपक्षी की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री संजीव कुमार सिंह एवं राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री सुनील कुमार को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक, विचारण लंबित रहने के दौरान, **थाना - गगहा, जनपद - गोरखपुर** के अंतर्गत पंजीकृत **अपराध संख्या 0463 वर्ष 2025, धारा 103(1), 190, 191(2), 191(3)** भारतीय न्याय संहिता में जमानत की प्रार्थना कर रहा है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त आशुतोष कुमार को इस न्यायालय द्वारा पूर्व में ही आपराधिक विविध

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जमानत आवेदन संख्या 2115 वर्ष 2026 में पारित आदेश दिनांक 21.01.2026 के माध्यम से जमानत पर रिहा किया जा चुका है। यह आगे तर्क दिया गया है कि चूंकि आवेदक का मामला उक्त सह-अभियुक्त के समान है, जिसे पहले ही जमानत दी जा चुकी है, इसलिए वह भी समानता के आधार पर जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

5. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह दिनांक 23.08.2025 से कारागार में निरुद्ध है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।
6. विद्वान ए.जी.ए. द्वारा जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया गया है। तथापि, सह-अभियुक्त के साथ समानता और आवेदक के आपराधिक इतिहास न होने के उक्त तथ्यात्मक पहलुओं पर उनके द्वारा विवाद नहीं किया गया है।
7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए तर्कों, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों, लंबित विचारण पर विचार करते हुए तथा इस न्यायालय द्वारा **नन्हा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1993 Cri.L.J. 938** में पारित निर्णय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **पारस राम विश्वोई बनाम निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो, MANU/SCOR/22410/2021** के साथ पठित **सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो एवं अन्य, (2022) 10 SCC 51** में पारित निर्णयों के आलोक में, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का यह मत है कि आवेदक इस मामले में जमानत पर रिहा होने का हकदार है। समानता के आधार पर जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक- **सुनील कुमार** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंध पत्र और समान राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व जमानतियों का सत्यापन किया जाए।

i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं बनाएगा/उन्हें डराएगा नहीं।

iii) आवेदक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन के मामले में, यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने के संबंध में की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

दिनांक : 22 जनवरी 2026

सिद्धांत

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल,)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।